

संलग्नक संख्या -

Forest Land Diversion Proposal for " Improvement and Ulp- gradation to 4-lane configuration of Meerut- Nazibabad Section of NH-119 between Km 39+165 to Km 78+635 (Km 48+400 to Km 66+500 in District Muzaffarnagar) in the State of Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश संख्या- आर0सी0/ 529/ 14-2-2008 दिनांक 22.08.2008 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर देय एन0पी0वी0 (शुद्ध वर्तमान मूल्य) का निर्धारण।

प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है, वन अतः वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)की गणना-

1-	हरियाली घनत्व-	06
2-	इको क्लास श्रेणी- III (Tropical Dry Deciduous Dense Forest)	
3-	एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	रूपये- 1228590.00
4-	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	27.7284है0
5-	देय एन0पी0वी0 की धनराशि	रूपये- 34066835.00
6-	उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार वन्य जीव विहार के अन्तर्गत स्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की दशा में 05 गुणा धनराशि का भुगतान किया जायेगा-	रूपये- 34066835.00×5
		रूपये- 170334175.00
	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि	रूपये- 170334175.00

(रूपये सत्रह करोड़ तैंतीस लाख चार हजार एक सौ पिच्छत्तर मात्र)

(कन्हैया पटेल) 29/3/23
प्रभागीय निदेशक (कन्हैया पटेल)
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(विमल किशोर भारद्वाज)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर